पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सिविल लाईन्स रायपुर–492001

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों के लिये स्वीकृत तृतीय श्रेणी (तकनीकी) पदों की पूर्ति हेतु पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अभ्यर्थी दर्शाये पते पर निर्धारित आवेदन–पत्र के प्रारूप में सही–सही जानकारी पूर्ण विवरण के साथ **दिनांक 09.03.2015 की शाम 05:30 बजे तक जमा कर सकेंगे।** निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(1)– रिक्तियों का वर्गवार विवरण :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों का जातिवार विवरण				शैक्षणिक अर्हता
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर)	
1	कनिष्ठ अभियंता (आर्किटेक्ट)	02	01	–	01	–	12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा
2	उप निरीक्षक / कनिष्ठ अभियंता(सिविल)	18	08	02	06	02	12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनिरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा
3	उप निरीक्षक / कनिष्ठ अभियंता(इलेक्ट्रिकल)	06	02	01	02	01	12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा
4	उप निरीक्षक / कनिष्ठ अभियंता (कम्प्युटर प्रषिक्षित)	04	02	–	01	01	12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर इंजीनिरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा
5	सहायक उप निरीक्षक / मानचित्रकार	02	01	–	01	–	12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं वास्तुकला में डिप्लोमा या औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल / मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता में प्रमाण–पत्र या सर्वेक्षक ट्रेड प्रमाण–पत्र या इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ वोकेषनल ट्रेनिंग (3 वर्षीय) का शिक्षुता प्रमाण–पत्र
6	उप निरीक्षक / कनिष्ठ अभियंता(सर्वे)	04	02	–	01	01	12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनिरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा

(2) वेतनमान :–

वेतनमान रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत देय भत्ते ।

नोट :–

1. विज्ञापित पदों में नियमानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों एवं 25 प्रतिशत् पद नगर सैनिको के लिए आरक्षित है।
2. तीन वर्ष अथवा उससे अधिक की वास्तविक रूप से सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिक को ही नगर सैनिक कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी।
3. महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।
4. विज्ञापित पदों में वृद्धि या कमी हो सकती है।
5. भर्ती में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर आरक्षण संबंधी जारी नियम लागू होंगे।

(3) भर्ती कार्यक्रम :–

1	आवेदन–पत्रों की छानबीन	दिनांक 16.03.2015 से दिनांक 18.03.2015 तक
2	सामान्य ज्ञान लिखित परीक्षा	दिनांक 22.03.2015
3	व्यवसायिक ज्ञान लिखित परीक्षा	दिनांक 29.03.2015
4	साक्षात्कार	दिनांक 06.04.2015

(4) आवेदन–पत्र जमा करने का पता :–

भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार अपने–अपने आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक ही निम्न पते पर जमा कर सकेंगे :–

सेनानी,
3री वाहिनी, छसबल, अमलेष्वर–दुर्ग(छ.ग.)
पिन– 491111
दूरभाष क्रमांक–9893599367

(5) भर्ती हेतु पात्रता :–

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।

(6)– आयु :–

1. सामान्य जाति के उम्मीद्वार की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पॉच) वर्ष तक षिथिलनीय होगी।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं के नियुक्ति के लिये विषेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक षिथिलनीय होगी।

3. ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा षिथिलनीय होगी।

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(चार) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(पॉच) अस्पृष्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक षिथिलनीय होगी।

(छः) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक षिथिलनीय होगी।

(सात) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक की आयु तक षिथिलनीय होगी।

(आठ) स्वयंसेवी नगर सैनिको एवं नगर सेना के नान कमीषण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गयी नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 08 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये छूट दी जावेगी किन्तु किसी भी दषा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

(नौ) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा षिथिल नहीं की जावेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दस) अभ्यर्थी जिन्हें उनके संवर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/ विधवा/ तलाकषुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गो के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु किसी भी दषा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देष भी लागू होंगे।

(7) निरर्हता :–

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।
2. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसे करने के विषेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

3. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा पद के कर्तव्य को पुरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादित मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

4. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी सम्यक् जाँच, जैसा कि वह आवष्यक समझे, के पष्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिये उपयुक्त नही हैं।
5. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिष्चय न कर दिया जाये।

6. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
7. कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पष्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा अगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पष्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता हैं, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।

(8)– भर्ती का तरिका :–

- **प्रथम चरण :–** आवेदन–पत्रों की छानबीनः–

  दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र पाये गये अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के अगामी चरण में प्रवेष हेतु पात्र होंगे।

- **द्वितीय चरण :–** सामान्य ज्ञान लिखित परीक्षाः–

  सामान्य ज्ञान परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जो 50 अंको की होगी। प्रत्येक प्रष्न एक अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा पष्चात् विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदको को अभिप्राप्त अंक के आधार पर एवं जाति संवर्गवार भर्ती परीक्षा के अगामी चरण में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जावेगा।

- **तृतीय चरण :–** व्यवसायिक ज्ञान लिखित परीक्षाः–

  व्यवसायिक ज्ञान परीक्षा 100 अंको की होगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। व्यवसायिक परीक्षा में पदों से संबंधित ट्रेड के प्रष्न पूछे जायेंगे। इस परीक्षा में अर्ह होने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों को 40ः प्रतिषत अंक अर्जित करना होगा तथा अनारक्षित (सामान्य) संवर्ग के अभ्यर्थियों को 50ः अंक अर्जित करना होगा।

- बोनस अंक :– (30 अंक) अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विषेष योग्यता के प्रयोजन हेतु प्रत्येक शीर्ष में 10 अंक आबंटित किये गये हैं :–

  (1) एन.सी.सी. में ''सी'' प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी

  (2) नक्सल पीडित परिवार से संबंधित तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत षिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित अभ्यर्थी

  (3) न्यूनतम व्यवसायिक योग्यता के रूप में 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्थान पर 04 वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी।

- चतुर्थ चरण :– साक्षात्कार (20अंक) साक्षात्कार 20 अंक का होगा, जिसके दौरान अभ्यर्थी के व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, संबोधन एवं सामान्य ज्ञान के अनुसार अंक दिया जायेगा।

(9) चरित्र सत्यापन :–

प्रत्येक चयनीत अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जावेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाये जाने पर सफल अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट में आया है) को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा, यदि कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई नोटिस दिये सेवा से पृथक किया जा सकेगा। चरित्र सत्यापन प्रतिकूल होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनीत व्यक्तियों का नाम चयन–सूची से हटा दिया जावेगा।

(10) स्वास्थ परीक्षण :–

अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ परीक्षण नियमानुसार कराना होगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवष्यक होगा।

(11) यात्रा भत्ता :–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार यात्रा किराया दिया जावेगा।

नोट :– 1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 मान्य होंगे।

2. विज्ञापन के प्रकाषन में मुद्रण की त्रृटि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

अतिरिक्त पुलिस
महानिदेषक
हेतु– पुलिस महानिदेषक
छत्तीसगढ़ रायपुर

–:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::–

(आवेदक द्वारा स्वच्छ / स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरा जावे)

आवेदक को नवीनतम पासपोर्ट साईज का एक फोटो चस्पा करना है, जिसे वह स्वयं सत्यापित करेगा

प्रति

.....

.....

1. आवेदित पद का नाम – .....
2. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम – .....

   (हिन्दी मे)

   अंग्रजी में (कैपिटल अक्षर मे) – .....
3. पिता / पति का नाम – .....
4. जन्मतिथि (अंको में) – .....

   (शब्दों में) – .....
5. दिनांक 01 / 01 / 2015 को आयु – वर्ष..... माह.....दिन.....
6. पत्र व्यवहार का पता – .....

   .....

   .....

   मोबाईल नम्बर.....
7. स्थाई पता – .....

   .....

   .....
8. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है ? हॉ / नही – .....

   (यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करे)
9. श्रेणी–अनारक्षित / अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. – .....

   (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करे अन्यथा अनारक्षित माना जावेगा)
10. क्या अधिकतम आयुसीमा में छूट चाहते है ? – .....

    (यदि हाँ तो किस श्रेणी से उल्लेख करे एवं प्रमाण–पत्र संलग्न करे)

11 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1						

2						
3						
4						
5						

12 क्या आप शासकीय/अर्द्धषासकीय कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी है। (यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) – .....

13 अनुभव यदि हो तो उल्लेख करें – .....

14 क्या आप भूतपूर्व सैनिक है (यदि हॉ तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे) – .....

15 क्या आप होमगार्ड के सैनिक है/रह चुके है (यदि हाँ तो जिला सेनानी, नगरसेना द्वारा जारी सेवा की अवधि का सत्यापित प्रमाण–पत्र संलग्न करे) – .....

16 क्या आप शासकीय सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड/ मेडिकल अथारिटी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं? – .....

17 क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं (यदि हाँ तो निरूद्व हुये है, जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं, तो पूर्ण विवरण दिया जावे तथा साथ ही अपराध कमांक/धारा/थाना एवं जिला व प्रदेष सहित पूर्ण विवरण दर्षाये) – .....

18 क्या आप पर वर्तमान में किसी न्यायालय/ विष्वविद्याालय/महाविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है यदि हाँ तो विवरण देवे – .....

19 आवेदक विवाहित है या अविवाहित (यदि विवाहित हो तो संतानो का विवरण देवे) – .....

1. संतान की कुल संख्या – .....
2. अंतिम जीवित संतान की जन्मतिथि .....

घोषणा–पत्र

मै एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक विष्वास है, सही है और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाये जाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती

हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा ।

नोट :– उम्मीदवार आवेदन–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्र/दस्तावेजों की छायाप्रति पर स्वयं सत्यापित करेंगे।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नामः– .....

दिनांक .....

स्थान .....